

उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-4
संख्या-7156/77-4-23/21 अपील/22
लखनऊ: दिनांक- 24 नवम्बर, 2023

श्रीमती सुशीला देवी जैन एवं अन्य ... पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

यूपीसीडा, लखनपुर कानपुर ... विपक्षीगण

यह पुनरीक्षण याचिका श्रीमती सुशीला देवी जैन, श्री राकेश जैन एवं श्री नेमचन्द जैन द्वारा यूपीसीडा में आवंटित औद्योगिक भूखण्ड संख्या ई-5, सेक्टर ए-1, ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद क्षेत्रफल 600 वर्गमीटर के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश दिनांक 19.08.2021 एवं पत्र दिनांक 20.10.2021 के विरुद्ध दिनांक 22.04.2022 को उत्तर प्रदेश अर्बन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेंट एक्ट 1973 की धारा 41(3) सपटित उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 12 के अंतर्गत दाखिल की गई है। प्रकरण में यूपीसीडा के पत्र दिनांक 05.07.2022, दिनांक 25.05.2023 एवं दिनांक 19.09.2023 के द्वारा आख्या उपलब्ध कराई गई है। प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका के सम्बन्ध में दिनांक 09.11.2023 को सुनवाई बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्राधिकरण की ओर से श्री के0एन0 श्रीवास्तव, प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र, कानपुर एवं श्रीमती शर्मिला पटेल, परियोजना अधिकारी, टीडीएस सिटी द्वारा भौतिक रूप से तथा याची संस्था की ओर से श्री सिद्धार्थ नन्दवानी, अधिवक्ता द्वारा आभासी रूप से प्रतिभाग किया गया।

2. याचीगण द्वारा यह अवगत कराया गया है कि श्रीमती सुशीला देवी जैन को इस भूखण्ड का आवंटन दिनांक 25.12.2000 को रेडीमेड गारमेन्ट की यूनिट स्थापित करने के लिए किया गया था। इस भूखण्ड की लीज डीड दिनांक 27.05.2005 को निष्पादित हुई थी, जिसके अनुसार इस भूखण्ड पर औद्योगिक यूनिट की स्थापना 6 माह में कर लेना था। इस भूखण्ड के सम्बन्ध में नक्शा दिनांक 31.03.2006 को प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसकी वैधता 5 वर्ष तक की थी।

3. याचीगण द्वारा यह अवगत कराया गया है कि नक्शा पारित होने के बावजूद इस भूखण्ड को बिना सूचना दिये दिनांक 19.10.2006 को निरस्त कर दिया गया था। याचीगणों द्वारा निर्धारित समय में औद्योगिक यूनिट का निर्माण

करने के लिए गये एवं प्राधिकरण कार्यालय में अधिभोग प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु दिनांक 23.02.2008 को आवेदन भी कर दिया गया। याचीगणों के प्रत्यावेदन को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण द्वारा अपने पत्र दिनांक 05.10.2010 द्वारा यह निर्णित किया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड रिस्टोर किया जा सकता है यदि याचीगणों द्वारा पुर्नस्थापना शुल्क के मद में रू0 8,24,000/- एवं maintenance charge तथा लीज रेंट के मद में रू0 23,787/- जमा कर दिया जाए। याचीगणों द्वारा इस अवैधानिक धनराशि का विरोध किया गया एवं यह कहा गया है कि भूखण्ड का निरस्तीकरण ही गलत हुआ है, अतः रिस्टोरेशन चार्जज दिए जाने का कोई औचित्य नहीं है। याचीगणों के प्रत्यावेदन के सम्बन्ध में औद्योगिक क्षेत्र के परियोजना अधिकारी द्वारा दिनांक 14.09.2012 को इस आशय का पत्र प्रेषित किया गया कि प्रश्नगत भूखण्ड का निरस्तीकरण गलत तरीके से हुआ है, क्योंकि भूखण्ड निरस्तीकरण से पहले कोई नोटिस याचीगणों को नहीं दिया गया था। तदोपरान्त प्राधिकरण द्वारा दिनांक 30.04.2015 को यह निर्णित किया गया कि निरस्तीकरण गलत हुआ है एवं भूखण्ड याचीगणों के पक्ष में restore कर दिया जाएगा यदि याचीगण द्वारा रू0 47,276/- जमा कर दिए जाएँ। याचीगणों द्वारा यह धनराशि दिनांक 06.05.2015 को जमा कर दी गई। इसी प्रकार एक और demand notice रू0 4,937/- जमा करने का प्राप्त हुआ था एवं इस नोटिस से सम्बन्धित धनराशि भी दिनांक 30.11.2015 को जमा कराई जा चुकी है।

4. याची संस्था द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि इसी मध्य श्रीमती सुशीला देवी जैन का स्वर्गवास दिनांक 09.12.2014 को हो गया एवं याची संख्या 2 एवं 3 ने प्राधिकरण को पत्र दिनांक 27.06.2016 के माध्यम से इस आशय का आवेदन किया गया कि उनके पक्ष में भूखण्ड का नामान्तरण कर दिया जाए।

5. याचीगणों द्वारा यह अवगत कराया गया है कि भूखण्ड का नामान्तरण करने के आवेदन पर प्राधिकरण द्वारा रू0 16,42,418/- का मांग पत्र दिनांक 16.12.2017 को जारी किया गया। इस मांग पत्र के सम्बन्ध में याचीगणों द्वारा प्रत्यावेदन दिनांक 01.02.2018 को इस आशय का दिया गया कि जब पूर्व में ही प्राधिकरण द्वारा अपने आदेश दिनांक 30.04.2015 द्वारा भूखण्ड के निरस्तीकरण को वापस कर धनराशियों का निर्धारण कर दिया गया था, तो पुनः इस पर पुर्नविचार करने का कोई औचित्य नहीं है। इस सम्बन्ध में एक अनुस्मारक भी दिनांक 16.02.2019 को याचीगणों द्वारा प्रेषित किया गया। इन प्रत्यावेदनों पर कोई निर्णय न हो पाने के कारण याचीगणों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 18584/2020 दायर की गई, जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 19.11.2020 को आदेश पारित करते हुए यह निर्देश दिये गये कि याचीगणों के प्रत्यावेदन पर शीघ्र निर्णय लिया जाए।

6. याचीगणों द्वारा यह अवगत कराया गया है कि मा० उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में प्राधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 19.08.2021 जारी किया गया है, जिसमें प्राधिकरण द्वारा याचीगणों के प्रत्यावेदन को निरस्त कर दिया गया है एवं पुनः दिनांक 20.10.2021 को इस आशय का पत्र दिया गया है कि याचीगण रु० 27,59,138/- प्राधिकरण के पक्ष में जमा करें। तदोपरान्त ही नामान्तरण की कार्यवाही की जानी सम्भव हो सकेगी।

7. उपरोक्त के क्रम में याचीगणों द्वारा यह निवेदन किया गया है कि चूंकि प्राधिकरण द्वारा पूर्व में ही अपने आदेश दिनांक 30.04.2015 द्वारा देयकों का निर्धारण किया जा चुका था, ऐसी स्थिति में पुनः समय विस्तारण शुल्क के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः, यह याचना की गई है कि आदेश दिनांक 19.08.2021 एवं पत्र दिनांक 20.10.2021 निरस्त किया जाए तथा याची संख्या 2 एवं 3 का नाम याची संख्या 1 के स्थान पर दर्ज किया जाए।

8. प्राधिकरण द्वारा अपनी आख्या में यह अवगत कराया गया है कि भूखण्ड संख्या ई-5, सेक्टर ए-1, टीडीएस सिटी का आवंटन श्रीमती सुशीला देवी के पक्ष में आवंटन पत्र संख्या 9914 दिनांक 25.12.2000 के द्वारा रेडीमेड गारमेन्ट्स की इकाई लगाने हेतु किया गया था।

9. प्राधिकरण द्वारा अपनी आख्या में यह अवगत कराया गया है कि भूखण्ड की लीज डीड का निष्पादन आवंटी के पक्ष में दिनांक 27.05.2005 को किया गया था तथा पुनः कब्जा दिनांक 27.05.2005 को दिया गया।

10. प्राधिकरण द्वारा अपनी आख्या में यह अवगत कराया गया है कि निष्पादित लीज डीड दिनांक 27.05.2005 की शर्त संख्या 3(आर)(1) के अनुसार आवंटी को 06 माह के अन्दर कम से कम 30 प्रतिशत आच्छादित क्षेत्रफल के साथ निर्माण कार्य पूर्ण कर इकाई को उत्पादनरत् करना था अथवा विस्तारित समय के अन्दर उत्पादन प्रारम्भ करना था।

11. प्राधिकरण द्वारा अपनी आख्या में यह अवगत कराया गया है कि भूखण्ड संख्या ई-5, सेक्टर ए-1 का आवंटन श्रीमती सुशीला देवी जैन के पक्ष में रेडीमेड गारमेन्ट्स की इकाई लगाने हेतु किया गया था। आवंटी के अनुरोध पर अनुबन्ध का निष्पादन दिनांक 22.12.2001 को किया गया तथा कब्जा दिनांक 22.12.2001 को हस्तगत कर दिया गया था। आवंटी/अपीलकर्ता द्वारा भूखण्ड पर इकाई की स्थापना हेतु भवन मानचित्र प्रस्तुत नहीं किए गये। अतः उन्हें दिनांक 21.11.2004 को भवन मानचित्र स्वीकृत कराकर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने एवं भूखण्ड की लीज डीड निष्पादन कराने हेतु प्रपत्र जमा कराने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया। पुनः नोटिस दिनांक 13.02.2004 एवं दिनांक

05.08.2004 निर्गत किए गए। आवंटी द्वारा अपने पत्र दिनांक 25.08.2004 के द्वारा वित्तीय समस्याओं का उल्लेख करते हुए भूखण्ड के रजिस्ट्रेशन एवं इकाई की स्थापना करने में असमर्थता व्यक्त करते हुए 06 माह का समय दिए जाने का अनुरोध किया गया। आवंटी के अनुरोध को पत्र दिनांक 04.09.2004 द्वारा अस्वीकार करते हुए सूचित किया गया कि अविलम्ब लीज डीड हेतु प्रपत्र जमा कर निष्पादन कराना सुनिश्चित करें।

12. प्राधिकरण द्वारा अपनी आख्या में यह अवगत कराया गया है कि अपीलकर्ता/आवंटी द्वारा उक्त पत्र के उपरान्त भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। अतः पुनः नोटिस दिनांक 24.09.2004, 09.11.2004, 17.02.2005 एवं 25.04.2005 निर्गत किए गये। अपीलकर्ता/आवंटी द्वारा पत्र दिनांक 24.05.2005 के द्वारा लीज डीड निष्पादन हेतु स्टाम्प पेपर एवं अन्य प्रपत्र जमा कराये गये जिसके उपरान्त आवंटी के पक्ष में दिनांक 27.05.2005 को लीज डीड का निष्पादन कर दिया गया तथा साथ ही भूखण्ड का पुनः कब्जा दिनांक 27.07.2005 को हस्तगत कर दिया गया।

13. प्राधिकरण द्वारा अपनी आख्या में यह अवगत कराया गया है कि अपीलकर्ता/आवंटी द्वारा भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु शपथ पत्र दिनांक 07.03.2006 प्रस्तुत करते हुए जिला उद्योग केन्द्र के माध्यम से अनुरोध किया गया, जिस पर विचारोपरान्त दिनांक 31.03.2006 को भवन मानचित्र स्वीकृत कर दिये गये।

14. प्राधिकरण द्वारा अपनी आख्या में यह अवगत कराया गया है कि भवन मानचित्र स्वीकृति पत्र दिनांक 31.03.2006 की शर्त संख्या-1 में भवन मानचित्र की वैधता अवधि 05 वर्ष दर्शायी गयी है तथा पट्टा विलेख की शेष शर्तें यथावत् रहने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अतः अपीलकर्ता का यह कथन असत्य है कि भवन मानचित्र स्वीकृति की तिथि 31.03.2006 से इकाई की स्थापना हेतु 05 वर्ष का समय दिया गया था।

15. प्राधिकरण द्वारा अपनी आख्या में यह अवगत कराया गया है कि आवंटन पत्र की शर्तों, शपथ पत्र दिनांक 25.05.2005 एवं लीज डीड की शर्त धारा-3(ई) का अनुपालन न करने के फलस्वरूप इस कार्यालय के पत्र दिनांक 19.10.2006 के द्वारा भूखण्ड का आवंटन निरस्त कर दिया गया। निरस्तीकरण से पूर्व कोई नोटिस निर्गत नहीं किया गया।

16. प्राधिकरण द्वारा अपनी आख्या में यह अवगत कराया गया है कि अपीलकर्ता द्वारा आवंटन के निरस्तीकरण के उपरान्त भूखण्ड के निरस्तीकरण आदेश को वापस लेने हेतु समय-समय पर अनुरोध किया गया, जिस पर मुख्यालय द्वारा पत्र संख्या 1380 दिनांक 15.09.2010 के द्वारा भूखण्ड को

पुनर्जीवित किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया। अपीलकर्ता/आवंटी को पत्र दिनांक 05.10.2010 के द्वारा पुनर्जीवीकरण शुल्क की शर्त के साथ प्रस्ताव प्रेषित किया गया, उनके द्वारा अपने पत्र दिनांक 30.12.2010 के द्वारा निरस्तीकरण आदेश को वापस लेने हेतु अनुरोध किया गया।

17. प्राधिकरण द्वारा अपनी आख्या में यह अवगत कराया गया है कि अपीलकर्ता/आवंटी के अनुरोध पर मुख्यालय के अनुमोदन पत्र दिनांक 15.09.2010 के क्रम में पुनर्जीवीकरण शुल्क रू0 8,04,000/- एवं बकाया देय रू0 23,787/- के भुगतान के साथ पुनर्जीवीकरण प्रस्ताव दिनांक 05.10.2010 निर्गत किया गया।

18. प्राधिकरण द्वारा अपनी आख्या में यह अवगत कराया गया है कि अपीलकर्ता/आवंटी द्वारा पत्र दिनांक 05.10.2010 द्वारा मांगी गयी पुनर्जीवीकरण शुल्क के भुगतान पत्र दिनांक 30.12.2010 द्वारा आपत्ति व्यक्त करते हुए भूखण्ड का पुनर्जीवीकरण न करते हुए निरस्तीकरण आदेश को वापस लेने हेतु अनुरोध किया गया।

19. प्राधिकरण द्वारा अपनी आख्या में यह अवगत कराया गया है कि अपीलकर्ता/आवंटी के पत्र दिनांक 30.12.2010 के क्रम में परियोजना अधिकारी द्वारा आवंटन निरस्तीकरण से पूर्व कोई नोटिस निर्गत न किए जाने के आधार पर निरस्तीकरण को वापस लेने हेतु प्रस्ताव दिनांक 14.09.2012 मुख्यालय प्रेषित किया गया।

20. प्राधिकरण द्वारा अपनी आख्या में यह अवगत कराया गया है कि अपीलकर्ता/आवंटी के अनुरोध पर मुख्यालय द्वारा पत्र संख्या 2462 दिनांक 21.03.2015 के द्वारा भूखण्ड के विरुद्ध अतिदेयों को प्राप्त करते हुए निरस्तीकरण को वापिस लिए जाने का अनुरोध किया गया, जिसके अनुपालन में अपीलकर्ता/आवंटी को पत्र दिनांक 30.04.2015 के द्वारा निरस्तीकरण की तिथि तक का समय विस्तारण एवं अन्य देयों के भुगतान के साथ निरस्तीकरण पत्र दिनांक 19.10.2006 को वापस ले लिया गया। पत्र दिनांक 30.04.2015 में यह भी उल्लेख कर दिया गया था कि भविष्य में उक्त भूखण्ड के विरुद्ध कोई देयता/मांग निगम द्वारा की जाती है तो उसका भुगतान मांग पत्र की निर्गत तिथि से 30 दिन के अन्दर करना होगा।

21. प्राधिकरण द्वारा अपनी आख्या में यह अवगत कराया गया है कि अपीलकर्ता/आवंटी द्वारा पत्र दिनांक 30.04.2015 के क्रम में बकाया देयों एवं समय विस्तारण शुल्क रू0 47,276/- का भुगतान दिनांक 06.05.2015 को कर दिया गया था। अपीलकर्ता/आवंटी को मांग पत्र दिनांक 22.06.2015 रू0 4,937/- बाबत मेन्टीनेन्स चार्ज प्रेषित की गई।

22. प्राधिकरण द्वारा अपनी आख्या में यह अवगत कराया गया है कि अपीलकर्ता के अनुरोध पर पत्र दिनांक 15.12.2017 के द्वारा मूल आवंटी श्रीमती सुशीला देवी जैन के निधन हो जाने के कारण विधिक वारिसानों को मान्यता प्रदान करने हेतु भूखण्ड पर बकाया अतिदेय एवं दिनांक 21.12.2017 तक देय समय विस्तारण शुल्क एवं उस पर देय ब्याज कुल रू0 16,42,418/- की मांग की गयी।

23. प्राधिकरण द्वारा अपनी आख्या में यह अवगत कराया गया है कि अपीलकर्ता द्वारा पत्र दिनांक 15.12.2017 के उत्तर में अपने पत्र दिनांक 30.12.2017 के द्वारा समय विस्तारण शुल्क रू0 9,37,825/- एवं उस पर देय ब्याज रू0 6,92,868/- को निरस्त करने हेतु अनुरोध किया गया। अपीलकर्ता को कार्यालय के पत्र दिनांक 29.01.2018 द्वारा अवगत कराया गया कि समय विस्तारण शुल्क एवं उस पर देय ब्याज को माफ करना सम्भव नहीं है।

24. प्राधिकरण द्वारा अपनी आख्या में यह अवगत कराया गया है कि अपीलकर्ता द्वारा निगम के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में पत्र दिनांक 15.12.2017 द्वारा मांगे गये देयों को Quash करने एवं नामान्तरण के संबंध में रिट याचिका रू0 18584/2020 याजित की गई। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दायर याचिका में दिनांक 19.11.2020 को निम्न आदेश पारित किए गये:-

"Considering the facts and circumstances of the case, with the consent of parties, without advertng on the merits of the case, the writ petition is disposed of with a direction that the petitioners datd 01.02.2018 & 06.02.2019 and pass an appropriate speaking and reasoned order in accordance with law expeditiously, preferably wihtin a period of six weeks from the date of submission of copy of the order."

25. प्राधिकरण द्वारा अपनी आख्या में यह अवगत कराया गया है कि अपीलकर्ता/याची के अनुरोध पर भूखण्ड का निरस्तीकरण कार्यालय के पत्र संख्या 417 दिनांक 30.04.2015 द्वारा इस शर्त के साथ बापस लिया गया था कि अपीलकर्ता/आवंटी को भूखण्ड के विरुद्ध अतिदेयों का भुगतान करना होगा। अपीलकर्ता का यह कथन सही नहीं है कि Delay condone कर दिया गया। पत्र दिनांक 30.04.2015 में यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि भूखण्ड के विरुद्ध भविष्य में बकाया देयों की मांग की जाती है तो उसका भुगतान उन्हें मांग पत्र की निर्गत तिथि से 30 दिन के अन्दर करना होगा।

मेरे द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई की गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का परीक्षण किया गया।

26. पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों से यह स्पष्ट है कि दिनांक 19.10.2006 को अवर अभियन्ता की यह आख्या कि भूखण्ड अभी रिक्त अवधि में है, के आधार पर भूखण्ड का निरस्तीकरण कर दिया गया था। इससे यह स्पष्ट है कि भूखण्ड निरस्तीकरण के पूर्व कोई नोटिस सम्बन्धित आवंटी को नहीं दी गई है। इस तथ्य की पुष्टि परियोजना अधिकारी के पत्र दिनांक 23.08.2008 से भी होती है, जिसमें यह कहा गया है निगम की प्रचलित नीति के अनुसार किसी भूखण्ड के निरस्तीकरण करने से पूर्व आवंटी को नोटिस जारी किया जाता है, किन्तु इस प्रकरण में जिस दिनांक को अवर अभियन्ता की रिपोर्ट प्राप्त हुई, उसी दिनांक को भूखण्ड निरस्तीकरण के आदेश जारी कर दिये गये हैं। कालान्तर में आवंटी के अनुरोध एवं परियोजना कार्यालय टीडीएस सिटी गाजियाबाद द्वारा दिनांक 15.09.2014 एवं दिनांक 01.01.2015 के द्वारा भूखण्ड के विरुद्ध अतिदेयों को प्राप्त करते हुए (यदि कोई हो तो) निरस्तीकरण को वापस लिये जाने का अनुमोदन प्रदान कर दिया गया, जिसके क्रम में आवंटी श्रीमती सुशीला देवी जैन को दिनांक 30.04.2015 को सूचित भी कर दिया गया।

27. उपरोक्त से यह स्पष्ट होता है कि भूखण्ड का निरस्तीकरण वर्ष 2006 में गलत तरीके से किया गया था एवं ऐसे निरस्तीकरण पर कोई पुर्नस्थापना शुल्क नहीं बनता है। तत्क्रम में बिना पुर्नस्थापना शुल्क प्राप्त किये भूखण्ड का पुर्नजीवीकरण दिनांक 30.04.2015 को कर दिया गया था। यह स्पष्ट है कि भूखण्ड का आवंटन निरस्त होने पर भी आवंटी द्वारा दिनांक 23.02.2008 को अधिभोग प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदन प्राधिकरण में प्राप्त करवाया गया था, जो कि अभी भी अनिर्णित पड़ा हुआ है। चूंकि तत्समय भूखण्ड का निरस्तीकरण हो चुका था, अतः प्राधिकरण द्वारा अधिभोग प्रमाण पत्र जारी करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई। वस्तुतः भूखण्ड दिनांक 30.04.2015 को पुर्नजीवित हो जाने पर प्राधिकरण द्वारा तत्काल अधिभोग प्रमाण पत्र जारी करने हेतु निर्णय लिया जाना अपेक्षित था। याची द्वारा पूर्व में दिनांक 16.10.2006 तक के समय विस्तारण शुल्क का भुगतान कर दिया गया है। पट्टा विलेख की शर्त के अनुसार आवंटन की तिथि से दो वर्ष के अंदर भूखण्ड पर उत्पादन कार्य प्रारम्भ न किये जाने के कारण समय विस्तारण शुल्क की देयता तब तक बनी रहेगी जब तक आवंटी द्वारा इकाई को उत्पादनरत नहीं कर दिया जाता। चूंकि याचीगण द्वारा दिनांक 23.02.2008 को completion certificate जारी करने हेतु आवेदन कर दिया गया है, अतः ऐसी स्थिति में प्राधिकरण को इस आवेदन पत्र पर निर्णय लेना चाहिए एवं तदनुसार ही समय विस्तारण शुल्क की मांग करनी चाहिए। यदि निर्माण कार्य दिनांक 23.02.2008 तक पूर्ण कर लिया गया है, तो ऐसी स्थिति में समय विस्तारण शुल्क भी दिनांक 23.02.2008 तक ही देय होनी चाहिए।

28. प्राधिकरण द्वारा अपने आदेश दिनांक 19.08.2021 में इस आशय की कोई विवेचना नहीं गई है कि याचीगण द्वारा निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर लिया गया था एवं कब तक इकाई को उत्पादनरत कर दिया गया था। उक्त तथ्यों के आधार पर प्राधिकरण का आदेश दिनांक 19.08.2021 एवं इसी क्रम में जारी पत्र दिनांक 20.10.2021 निरस्त किया जाता है एवं प्राधिकरण को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विवेचना के क्रम में याची द्वारा दिए जाने वाले समय विस्तारण शुल्क एवं अन्य देय शुल्क की पुर्नगणना करते हुए एक माह में याची को सूचित करें।

तदनुसार एतद्वारा पुनरीक्षण याचिका निस्तारित की जाती है।


अनिल कुमार सागर
प्रमुख सचिव

संख्या:- 7156/77-4-23/21 अपील/22 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा, लखनपुर, कानपुर।
2. श्री राकेश जैन, निवासी-2, गौतमनगर, मेरठ रोड, पटेल नगर-2सी, गाजियाबाद-201001।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से


(अवनीश कुमार सिंह)
अनु सचिव